

22/05/18

पञ्जाबली राज न्याय कोष के डाक अभिमान -
 2010 डेम्प डोटि ग्राफ पंचायत सवाडु सुलतज में
 रखी गई, जारी कहील इपदिपत। विप्राधिगिण वावजुड
 लामिल अनुउवादिपत। जारी के अधिवक्ता ही एडपझीय
 वरस लुनी गडु, जारी के अधिवक्ता ने कतामा ही
 जारी को प्रयने खालेसारी खेतों के चाले कोर पन्डे
 नेधम स्थापित करवाना आवरथड है। इसलिये जारी
 डा नेधमवनी कोवेन स्विकार किया जाडर नेधमवनी
 कोवेन किया जावे। फलतः जारी डा नेधमवनी कोवेन
 स्विकार किया जाडर वरसीलडा गिडा डो डमिशान
 नियुक्त किया जाता है व कोवेन किया जाता है
 कि कोष स्वमं मा प्रयने भू अभिलेख निरिसड
 ले जारी के खालेसारी खेतों की पन्डी नेधमवनी
 मोडे पर डमिशान सुलड जमाडर। डरे पालना
 रिपोर्ट प्राप्त होने पर कामिल पञ्जाबली ही पञ्जाबली
 फेमल सुमार ही दर्ज नम्बर ले डम ही, दाखिल
 इफलर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु

राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, सवाउ मूलराज)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 339
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 22/05/2018

विप्रार्थीगण

1. श्री खेताराम पुत्र मूलाराम वगैरा 4,
जातियान्-जाट,
निवासीयान-रामदेरिया, सवाउ मूलराज,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

1. श्री भोजाराम पुत्र पुनमाराम वगैरा 11
जातियान्-जाट, निवासीयान-रामदेरिया,
सवाउ मूलराज, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :- 131/18

आदेश

मौजा रामदेरिया पटवार हल्का सवाउ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 417 रकबा 24.05 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत



क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/ 340-44
प्रतिबिम्बित-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक उपखण्ड अधिकारी (SDO)
(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
दिनांक:-22/05/2018

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, सवाउ मूलराज को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र मूलाराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थी श्री भोजाराम पुत्र पुनमाराम वगैरा 11।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु

महोदयजी,

खेताराम